न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 12 / 2025(जी.सी.एम.एस. 2025 / 14)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. माफी गुरूद्वारा कमेटी मार्फत बलविन्द्र सिंह पुत्र जगरूप सिंह जाति नाई निवासी मलकानाखुर्द तहसील श्री करणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:–17.01.2025

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

––निर्णय–– दिनांक : 20.01.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चक 1 एस, पटवार हल्का मलकाना खुर्द, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 129/123 के मुरब्बा नम्बर 32 की कुल 1.265 हैक्टेयर भूमि माफी गुरूद्वारा कमेटी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खाता में मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 6 ता 10 प्रत्येक की 0.253 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में बारानी दर्ज है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम चक 1 एस, पटवार हल्का मलकाना खुर्द, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 129/123 के मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 6 ता 10 प्रत्येक की 0.253 हैक्टेयर भूमि की कुल 1.265 हैक्टेयर बारानी भूमि को नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 478 दिनांक 05.12.2024 से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 में दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 1 एस की जमाबंदी संवत 2075-78 खाता संख्या 129 के मु0न0 32 का किला न0 6 ता 10 (सालम) 1.265 है0 बारानी भूमि माफी गुरुद्वारा कमेटी के नाम दर्ज है मुताबिक सीसीए रिकार्ड चक 1 एस के मु0न0 32 के 15 बीघा मूल रुप से कमाण्ड है एंव शेष 10 बीघा अनकमाण्ड मे से किला न0 6 ता 10 कार्यालय सहायक अभियंता जल संसाधन उत्तर खण्ड श्रीगगानगर के आदेश क्रमांक 569-71/08.9.1980 द्वारा अस्थायी रुप से सिंचित घोषित किया गया। इस प्रकार चक 1 एस के मु0न0 32 के कुल 20 बीघा कमाण्ड है। अतः चक 1 एस जमाबंदी संवत 2075-78 खाता संख्या 129 के मुरब्बा नम्बर 32 का किला नम्बर 6 ता 10 की 1.265 हैक्टेयर बारानी भूमि को राजस्व रिकार्ड मे नहरी दर्ज किया जाना उचित होगा। राजस्थान उपनिवेशन (गंग नहर भूमि स्थायी आवंटन एंव विक्रय) नियम 1956 के नियम 7 (क) के अनुसार आंवटित रकबा बारानी से नहर द्वारा सिंचित होने पर देय अन्तरराशि के सबध में मुरब्बा नम्बर 32 का किला नम्बर 6 ता 10 की 1.265 हैक्टेयर की अन्तरराशि जीआरएन नम्बर 87240576 दिनाक 28.03.2024 से जमा है
3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र वादी, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम चक 1 एस, पटवार हल्का मलकाना खुर्द, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्री करणपुर की जमावंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 129/123 की प्रति, चक 1 एस के सीसीए चक प्लान की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 1 एस, पटवार हल्का मलकाना खुर्द, भू. अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमावंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 129/123 के मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 6 ता 10 प्रत्येक की 0.253 हैक्टेयर भूमि कुल 1.265 हैक्टेयर बारानी भूमि को नहरी दर्ज किए जाने बावत निवेदन किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार सीसीए रिकार्ड चक 1 एस के मु0न0 32 के 15 बीघा मूल रुप से कमाण्ड है एंव शेष 10 बीघा अनकमाण्ड मे से किला न0 6 ता 10 कार्यालय सहायक अभियंता जल संसाधन उत्तर खण्ड श्रीगगानगर के आदेश क्रमांक 569-71/08.9.1980 द्वारा अस्थायी रुप से सिंचित घोषित किया गया। इस प्रकार चक 1 एस के मु0न0 32 के कुल 20 बीघा कमाण्ड है। अतः चक 1 एस जमाबंदी संवत 2075-78 खाता संख्या 129 के मुरब्बा नम्बर 32 का किला नम्बर 6 ता 10 की 1.265 हैक्टेयर बारानी भूमि को राजस्व रिकार्ड मे नहरी दर्ज किया जाना उचित होगा। अतः प्रार्थना पत्र, वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-ःआदेशः-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 1 एस, पटवार हल्का मलकाना खुर्द, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 129/123 के मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 6 ता 10 प्रत्येक की 0.253 हैक्टेयर भूमि कुल 1.265 हैक्टेयर बारानी भूमि को नहरी दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 20.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

माफी गुरूद्वारा कमेटी बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए

मुकदमा नम्बर 12/2025

निर्णय दिनांक :-20.01.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी स्वंय उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 1 एस, पटवार हल्का मलकाना खुर्द, भू.अ.नि.क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 129/123 के मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 6 ता 10 प्रत्येक की 0.253 हैक्टेयर भूमि कुल 1.265 हैक्टेयर बारानी भूमि को नहरी दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 20.01.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**02**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर

दिनांकः 20.01.2025

क्रमांकः रीडर/2025/39

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर